उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P.POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC24928

संख्याः– 1669–अ0प्र0–07/पा0का0लि0/2022–21–अ0प्र0–07/21 **दिनांकः 07/07/2022**

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश सं0–55–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17, दिनांक 12.01.2017 में निहित प्राविधानानुसार सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत कार्मिकों को तीन वित्तीय स्तरोन्नयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने पर अनुमन्य किया जाना हैं। इस कार्यालय ज्ञाप में प्राविधानित है कि कारापोरेशन में पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन लागू किये जाने के दिनांक 19.02.2009 को यदि कोई पदधारक सीधी भर्ती/एक अथवा एक से अधिक प्रोन्नति प्राप्त कर पद के साधारण वेतनमान में है और उसे उस पद पर समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ है तो उसे सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाऐंगे।

उपरोक्तानुसार वेतनमान रू0 9300–34800 एवं ग्रेड पे रू0–4600/– में नियुक्त अवर अभियन्ता को निम्नानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य है :–

प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड पे 4800/–
द्वितीय ए0सी0पी ग्रेड पे 5400/–
तृतीय ए0सी0पी ग्रेड पे 6600/–

विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 22.05.2021 में द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति/संस्तुति करते समय समिति द्वारा सम्बन्धित अभियन्ता अधिकारियों के सेवा अभिलेख यथा आलोच्य अवधि की वार्षिक गोपनीय आख्या एवं अनुशासनिक कार्यवाही आदि को ही संज्ञान में लिया गया है, परन्तु समिति द्वारा यह संज्ञान में नहीं लिया गया कि अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि से 09 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही कतिपय अवर अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता (ग्रेड पे–5400/–) के पद पर पदोन्नति होने के दृष्टिगत उनको द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड पे–5400 अनुमन्य हो गया है।

उपरोक्त के क्रम में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–1655–अ0प्र0–07/पाकालि/21 दिनांक 05.06.21 में उल्लिखित अभियन्ता अधिकारियों को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत कर दिया गया।

दिनांक 06.07.2022 को विभागीय चयन समिति की बैठक में सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन व्यवस्था में निहित सिद्धान्त के आलोक में प्रकरण पर पुनः विचार किया गया, जिसमें समिति ने संज्ञान में लिया कि उक्त आदेश में वर्णित अभियन्ता अधिकारियों की प्रथम ए0सी0पी की अनुमन्यता से पूर्व ही अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता (ग्रेड पे 5400/–) के पद पर पदोन्नति हाने के दृष्टिगत उनको द्वितीय ए0सी0पी0 के समतुल्य ग्रेड पे 5400/– अनुमन्य हो गया है। अतः अब इनको द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय नहीं है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत, कॉरपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1655–अ0प्र0–07/पाकालि/21 दिनांक 05.06.21 द्वारा स्वीकृत किये गये द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन को उक्त आदेश के निर्गमन तिथि से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः–1669 (1)–अ0प्र0–07/पाकालि/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ, केस्को, कानपुर।
5. अपर सचिव (01/02), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन इकाई), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप सचिव (अ0प्र0–03/04/02ए/02बी/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (Website), कक्ष सं0 407, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण।
12. कट फाइल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)